–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 162/2024

उनवान

1. गांधी पत्नी संग्राम उर्फ सकराम,
2. शिवराज,
3. रामलाल,
5. सेठू,
6. चन्ता,
7. सायरी देवी,
8. प्रेम,
9. गमला पि0 संग्राम उर्फ सकराम जाति गुर्जर नि. कुराडी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. स्टेट बैंक आर्फ इण्डिया शाखा तिहारी, नसीराबाद।

——अप्रार्थीगण :– 1 जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 30/6/25

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम कुराडी प.म. तिलाना, तहसील नसीराबाद, अजमेर में प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी आराजी स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
155/156	862	0.29
156/157	किता 6	0.70
161/162	किता 10	2.77
58/58	614/1283	0.03
59/59	किता 8	1.30
60/60	किता 2	[illegible]
69/72	1124	[illegible]
80/88	किता 3	[illegible]
82/90	किता 4	1.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:17 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण के स्वर्गवासी पिता छीतर पुत्र लाला की पुश्तैनी खातेदारी थी। उक्त आराजी जरियें विरासत प्रार्थीगण को प्राप्त हुयी है। वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण के पिता स्वर्गवासी पिता छीतर पुत्र लाला के नाम खातेदारी दर्ज थी। जिनके स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 15.02.1983 को उंकार, सकराम व रूपा पि. छीतर के नाम खातेदारी अंकित की गयी। वंर्किग जमाबंदी में जरियें विरासत दर्ज की गयी उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सकराम पि. छीतर के नाम व अन्य व्यतियों के नाम खातेदारी दर्ज है।आराजी मुतनाजा पर जरियें विरासत दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से संग्राम पि. छीतर के स्थान पर सकराम पि. छीतर अंकित कर दिया। जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम संग्राम पि. छीतर है। प्रकरण में अन्य सह खातेदारों के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है अतः अन्य सह खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण के पिता का सही नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में संग्राम पुत्र छीतर ही अंकित है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के पिता का नामसंग्राम पुत्र छीतर दर्ज किया जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा में जरियें विरासत सकराम पुत्र छीतर अंकित किया गया। भूमि खातेदारी होने से प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होते है। आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 की तामीली का कोई औचित्य नही है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम तिलाना के खसरा नम्बर 862 रकबा 0.29, 614/1283 रकबा 0.03, 1124 रकबा 0.19, खाता संख्या 156/157 किता 6 रकबा 0.70, 161/162 किता 10 रकबा 2.77, 59/59 किता 8 रकबा 21.30, 60/60 किता 2 रकबा 0.14, 80/88 किता 3 रकबा 1.18, 82/90 किता 4 रकबा 1.01 की आराजी पर प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम सकराम पि. छीतर अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार उक्त आराजीं पैतक है। जो जरियें विरासत सकराम पुत्र छीतर के नाम दर्ज है। राज. पैरोकार ने प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। प्रार्थीगण के पिता/पति का सही नाम संग्राम पुत्र छीतर है। उक्त नाम दुरूस्त करने से अन्य सह खातेदारों के हित प्रभावित नही होते है।

उक्तानुसार ग्राम तिलाना के खसरा नम्बर 862 रकबा 0.29, 614/1283 रकबा 0.03, 1124 रकबा 0.19, खाता संख्या 156/157 किता [illegible] किता 10 रकबा 2.77, 59/59 किता 8 रकबा 1.30, 60/60 किता 2 रकबा 0.1[illegible] किता 3 रकबा 1.18, 82/90 किता 4 रकबा 1.01 की आराजी [illegible] "**स्वीकार**" किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा [illegible] के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:17 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

की विस्तृत व गहनता से जॉच कर त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम संग्राम दुरूस्ती की कार्यवाही करावे। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:17 IST
Reason: SelfAttested